न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री रामनिवास जाट आर.ए.एस
अपील संख्या 70/2017 एल आर एक्ट
अनवान अमीन मोहम्मद बनाम पठानी वगैरह

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज	नम्बर व तारी[illegible] अहकाल जो इ[illegible] हुक्त की तामी[illegible] में जारी हुए[illegible]
13–09–2019	रेस्पोडेंट्स के वकील श्री विजयकुमार पारीक द्वारा दिनांक 08.05.2019 को सूचना दी गई कि रेस्पोडेंट नं. 2 तथा 5 काफी समय पहले फौत हो चुके है, परन्तु अपीलांट् ने उनके कायम मुकाम की सूचना एवं अबेटमेंट निरस्त करवाने हेतु दरख्वास्त पेश नहीं की है। अतः अपील स्वतः ही अबेट हो चुकी है। अपीलांट् के वकील का कथन है कि उनके पास ऐसी कोई सूचना नहीं है तथा न ही रेस्पोडेंट की सूचना की सत्यता पर आपत्ति कर रहे है, ऐसे में माना जायेगा कि रेस्पोडेंट की मृत्यु हो चुकी है तथा अपीलांट अपील की विधिवत पैरवी के इच्छुक नहीं है। अतः अपील अबेट घोषित की जाकर खारिज की जाती है। निर्णय सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लोटाया जावें। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखित दफ्तर हो। अति. संभागीय आयुक्त बीकानेर	अधीन[illegible] रिक[illegible] 22[illegible] 1[illegible]